भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5210

03.04.2023 को उत्तर के लिए

हाथियों का स्थानांतरण

5210. श्री प्रज्ज्वल रेवन्ना:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह बात संज्ञान में आई है कि हासन जिले के सकलेशपुरा, अलूर और बेलूर तालुकों में जंगली हाथियों के हमले का अनसुलझा विवाद है जहां पिछले दस वर्षों के दौरान पचहत्तर से अधिक लोगों की जान चली गई और जंगली हाथी वर्तमान में लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार का विचार हाथियों के हमले के कारण जान गंवाने वाले व्यक्ति की एवज में मिलने वाले मुआवजे को दोगुना करने का है;

(ग) क्या सरकार का विचार हाथियों को इस क्षेत्र से स्थानांतरित करने का है और यदि हां, तो अब तक स्थानांतरित किए गए हाथियों का ब्यौरा क्या है और सकलेशपुरा, अलूर और बेलूर वन क्षेत्र में हाथियों की संख्या कितनी है; और

(घ) क्या सरकार का राज्य के विभिन्न स्थानों पर बढ़ते हमलों की जानकारी है और यदि हां, तो तेंदुए के हमलों के कारण हुई मौतों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (घ) कर्नाटक राज्य से प्राप्त सूचना के अनुसार, हाथियों के हमलों के कारण पिछले 10 वर्षों में बयालीस (42) लोगों के हताहत होने की रिपोर्ट की गई है। कर्नाटक सरकार ने दिनांक 15.12.2022 के आदेश द्वारा वन्यजीवों के हमलों से मरने वाले व्यक्ति के विधिक उत्तराधिकारी के मुआवजे को दोगुना अर्थात 7.50 लाख रूपये से 15 लाख रूपये कर दिया है। कर्नाटक सरकार द्वारा पिछले 10 वर्षों में हासन जिले से चौंतीस (34) उपद्रवी हाथियों को पकड़ा और स्थानांतरित किया गया है। कर्नाटक राज्य से प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में तेंदुओं के हमलों के कारण हताहत लोगों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्रम सं.	**वर्ष**	**जिला**	**मामलों की संख्या**
1	2019-20	तुमकुर	04
2	2020-21	रामनगर	02
		तुमकुर	02
		कोप्पल	02
3	2021-22	-	-
	2022-23	मैसूर (टी)	04
4		देवनगरी	01
कुल			**15**

*****